राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

विविध प्रार्थना पत्र संख्या 18/2016/जयपुर
मैसर्स सुदर्शन बिल्डकॉन प्रा.लि.
जयपुर अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए उप पंजीयक–द्वितीय
जयपुर प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य
श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित
श्री हेमन्त सोगानी
अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से
श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 10.01.2017

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह प्रार्थना पत्र निगरानी संख्या 3976/ 2005/ जयपुर निर्णय दिनांक 12.08.2016 को अदम हाजिरी/अदम पैरवी में खारिज कर दिये जाने के कारण प्रस्तुत किया गया है।

विविध प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि गत तारीख पेशी 03.08.2016 की तारीख पेशी निर्धारित थी परन्तु उक्त दिनांक को अभिभाषक महोदय जयपुर में अपने अन्य केसज में व्यस्त रहने के कारण उक्त तारीख पेशी को कर बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके। उनका कथन है कि तारीख पेशी दिनांक 03.08.2016 को अपीलार्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने के कारण अगली तारीख पेशी दिनांक 12.08.2016 निर्धारित की गई, किन्तु सहवन से श्री रूडमल प्रजापत, अभिभाषक ने आगामी तारीख पेशी 12.08.2016 के स्थान पर 12.09.2016 नोट कर ली। दिनांक 12.092016 को राजकीय अवकाश होने के कारण उसके द्वारा यह माना गया कि उक्त दिनांक को न्यायालय के समक्ष कार्यवाही नहीं हो पावेगी और अगली तारीख पेशी नियत की जावेगी। उनका कथन है कि उसे बाद में पता चला कि निगरानी अदम हाजिरी में खारिज कर दी गई है। उक्त तथ्यों के आलोक में निगरानी याचिका को पुर्नस्थापित कर गुणावगुण पर सनुवाई का अवसर प्रदान करते हुए निर्णित करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि तारीख पेशी 21.04.2016 को अपीलार्थी की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि ने समय चाहा था, उनके निवेदन को स्वीकार करते हुए सुनवाई की तारीख पेशी दिनांक 28.04.2016 निर्धारित की गई, किन्तु वह उक्त तारीख पेशी को खण्डपीठ के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। उनका कथन है कि तारीख पेशी 28.04.2016 को अपीलार्थी की ओर से किसी के उपस्थित नही होने पर पुनः 29.07.2016 की तारीख पेशी निर्धारित की गई। तारीख

पेशी दिनांक 29.07.2016 को भी अपीलार्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने के कारण अगली पेशी 03.08.2016 निर्धारित करते हुए एक पक्षीय सुनवाई के आदेश दिये गये। दिनांक 03.08.2016 को भी अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ तो खण्डपीठ द्वारा पुनः सुनवाई की तारीख पेशी 12.08.2016 निर्धारित की गई और दिनांक 12.08.2016 को भी अपीलार्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने के कारण कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा तीन बार आवाज लगवाई लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ । उनका कथन है कि उक्त तथ्यों के आधार पर खण्डपीठ ने यह माना कि वकील निगरानीकर्ता इस निगरानी को आगे चलाना नहीं चाहता है और निगरानी अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की है, जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर विविध प्रार्थना के जरिए निगरानी को पुर्नस्थापित करने के निवेदन को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तारीख पेशी 21.04.2016 को अपीलार्थी की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि ने समय चाहा था, उनके निवेदन को स्वीकार करते हुए सुनवाई की तारीख पेशी दिनांक 28.04.2016 निर्धारित की गई, किन्तु वह उक्त तारीख पेशी को पीठ के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। तारीख पेशी 28.04.2016 को अपीलार्थी की ओर से किसी के उपस्थित नही होने पर पुनः 29.07.2016 की तारीख पेशी निर्धारित की गई। तारीख पेशी दिनांक 29.07.2016 को भी अपीलार्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने के कारण अगली पेशी 03.08.2016 निर्धारित करते हुए एक पक्षीय सुनवाई के आदेश दिये गये। दिनांक 03.08.2016 को भी अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ तो खण्डपीठ द्वारा पुनः सुनवाई की तारीख पेशी 12.08.2016 निर्धारित की गई और दिनांक 12.08.2016 को भी अपीलार्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने के कारण कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा तीन बार आवाज लगवाई लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ । बहस के दौरान यह कथन किया जाना कि सहवन से श्री रूडमल प्रजापत, अभिभाषक ने आगामी तारीख पेशी 12.08.2016 के स्थान पर 12.09.2016 नोट कर ली, जो स्वीकार योग्य आधार नहीं है क्योंकि पूर्व में भी इसी तरह अभिभाषक लगातार अनुपस्थित रहे हैं। उक्त तथ्यों के आधार पर खण्डपीठ ने यह निर्णय दिया कि वकील निगरानीकर्ता इस निगरानी को आगे चलाना नहीं चाहते हैं अतः निगरानी अदम हाजिरी में खारिज की है, जो पूर्णतः उचित है। ।

उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की ओर से पुर्नस्थापना हेतु प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया ।

(के.एल.जैन)
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य